राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–12) विभाग

क्रमांक प.8(18)गृह–12/कारा/2020 जयपुर, दिनांक : 30 DEC 2020

समस्त संभागीय आयुक्त,
राजस्थान।

समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
राजस्थान।

विषयः– राज्य की कारागृहों में पाये जाने वाली निषिद्व वस्तुओं की तलाशी हेतु सघन अभियान चलाने एवं जेल से संचालित होने वाली आपराधिक गतिविधियों के विरूद्व ''ऑपरेशन फ्लश आउट'' के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका ध्यान इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 07.08.2020 एवं महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर द्वारा राज्य की कारागृहों में निषिद्व वस्तुओं की तस्करी तथा जेल से संचालित होने वाले आपराधिक गतिविधियों के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान ''ऑपरेशन फ्लश ऑउट'' (प्रति संलग्न है) की ओर आकर्षित कर निदेशानुसार लेख है कि राज्य के कारागृहों में मोबाईल उपकरण, सिमकार्ड एवं अन्य निषिद्व सामग्री पायी जाती है तो यह अत्यन्त ही चिन्ता का विषय है। इस प्रकार की घटनाओं से कानून एवं व्यवस्था के संदर्भ में नकारात्मक छवि के साथ साथ ही बंदियों के जीवन व जेल की सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न होता है।

उपरोक्त संदर्भ में राज्य के समस्त कारागृहों में मोबाईल उपकरण, सिमकार्ड एवं अन्य निषिद्व सामग्री की रोकथाम हेतु सघन तलाशी अभियान चलाये जाने हेतु पूर्व में समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को इस विभाग के समसंख्यक पत्रांक प.8(18)गृह–12/कारा/2020 दिनांक 07.08.2020 के द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

इस हेतु पुनः आपकों निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में स्थित कारागृहों की तलाशी हेतु तलाशी दल गठित किया जावें। इस तलाशी दल में जिला में पदस्थापित राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा एवं अन्य उपयुक्त सेवा के अधिकारियों को भी सम्मिलित किया जावें। इस तलाशी दल का प्रभारी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को बनाया जावें। साथ ही, तलाशी दल की सुरक्षा के समुचित प्रबन्ध किए जावें। उपरोक्त हेतु स्थानीय स्तर पर उपलब्ध आर.ए.सी. का भी उपयोग किया जा सकता है।

तलाशी दल तलाशी लेने जाते समय वीडियों रिकॉर्डिंग किया जाना सुनिश्चित करें। महानिदेशक कारागार यह सुनिश्चित करें कि जेल अधिकारियों द्वारा तलाशी के दौरान तलाशी दल का पूर्ण सहयोग किया जावें। तलाशी लेते समय बंदी द्वारा यदि अनुशासनहीनता की जाती है तो उसकी भी रिकॉर्डिंग आवश्यक रूप से की जावें।

तलाशी लेते समय अनुशासन बना रहने के साथ साथ गोपनीयता भंग नही हो, यह भी सुनिश्चित किया जावें।

तलाशी लेने से पूर्व बंदियों को अन्यत्र वार्ड या सिंगल सेल में बंद किया जावें तथा एक–एक करके बंदियों को बैरिक से बाहर निकालकर तलाशी ली जावें। बंदी बैरिक एवं बंदी वार्ड की भी समुचित तलाशी ली जावे। जिन कारागृहों में CCTV स्थापित है, वहॉ पर इस फुटेज का भी उपयोग किया जाए।

जिन कारागृहों में बंदियों के पास मोबाईल या अन्य प्रतिबंधित सामग्री पायी जाती है, उन बंदियों का तत्काल अन्य कारागृहों पर स्थानान्तरण किया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे पुनः प्रतिबंधित सामग्री प्राप्त करने की संभावना से बचाव होने के साथ उनका हतोत्साहन हो। ऐसे प्रकरणों में केस दर्ज किए जाने के साथ साथ जेल रिकॉर्ड्स में भी एण्ट्री की जावे ताकि जमानत एवं पैरोल इत्यादि के भविष्य में निर्णय के समय इस जानकारी का भी उपयोग किया जाए।

कुछ कारागृहों जिनकी अवस्थिति नगर क्षेत्र के मध्य है अथवा जहॉ नगरीय आवासीय कॉलोनियॉ कारागृह की सीमा के नजदीक स्थित है, वहॉ सामान्यतः बाहर से जेल के अन्दर पार्सल बनाकर असामाजिक तत्वों द्वारा प्रतिबंधित सामग्री फेंकी जाती है, वहॉ जेल की सीमा के बाहर संवेदनशील स्थानों पर स्थानीय प्रशासन/पुलिस द्वारा जेल प्रशासन के सहयोग से सुचारू प्रतिबंध की व्यवस्था की जाए।

लावारिस हालत में पाये जाने वाले मोबाईलों की F.S.L. से जॉच किया जाना सुनिश्चित किया जाये, क्योंकि ऐसा ध्यान में लाया गया है कि अपराधियों द्वारा प्रायः IMEI नम्बर मिटा दिये जाते है। ऐसा होने पर उच्च तकनीक का प्रयोग कर मोबाईल उपकरण के उपयोगकर्ता के बारे में जानकारी अर्जित की जा सकती है।

संवेदनशील कारागृहों पर स्टाफ को एक निश्चित अवधि के बाद आवश्यक रूप से अन्यत्र स्थानांतरित किया जाये।

कृपया उपरोक्तानुसार आपके जिले में स्थित समस्त कारागृहों की आकस्मिक तलाशी हेतु अभियान चलाकर सघन तलाशी करायी जाना सुनिश्चित कर तलाशी रिपोर्ट/सूचना आवश्यक रूप से भिजवाने का श्रम करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(वी. सरवन कुमार),
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।

(हेतराम मीना)
सहायक शासन सचिव

महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-निरीक्षण/2020/**665-825** दिनांक:- **21.11.2020**

समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक,प्रभाराधिकारी
केन्द्रीय जिला/उच्च सुरक्षा कारागृह/,महिला बंदी सुधारगृह
उप कारागृह,/बाल बंदी सुधार गृह,राजस्थान

विषय:-जेलों में अवाँछित निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी तथा जेल से संचालित होने वाली आपराधिक गतिविधियों के विरूद्ध **"ऑपरेशन फ्लश आउट"** का प्रारम्भ

महोदया/महोदय,

जेलों में मोबाईल फोन,चार्जर,अफीम,चरस आदि मादक पदार्थ, बीड़ी, सिगरेट ,जर्दा, गुटका एवं अन्य अवांछनीय निषिद्ध वस्तुओं का तस्करी के माध्यम से प्रवेश विभाग के लिए एक चिन्ता का विषय है। इस प्रकार की घटनाओं से विभाग की छवि भी धूमिल होती है तथा बन्दियों को जेल से आपराधिक गतिविधियों के संचालन में सहायकता मिलती है। यह भी निर्विवाद सत्य है कि इस प्रकार की अवांछनीय वस्तुओं की जेलों में आमद जेल विभाग के अधिकारियों,कर्मचारियों तथा बाह्य सुरक्षा हेतु तैनात 13वीं बटालियन आर.ए.सी. की मिलीभगत, शिथिलता अथवा लापरवाही के कारण ही संभव है।

इसी प्रकार जेल परिसर से कई कैदियों द्वारा आपराधिक गतिविधियों का संचालन होना भी सामने आया है। जिससे प्रदेश की अपराध तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर विपरीत रूप से प्रभाव पड़ता है। अत: आवश्यकता है कि इस प्रकार की गतिविधियों को समूल समाप्त करने के लिए सभी जेल अधिकारी,कर्मचारीगण प्रतिबद्ध होकर एक अभियान के रूप में कार्य करें।

इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जेल विभाग की समस्त 145 जेलों में दिनांक **21/11/2020 से 31/12/2020 तक "ऑपरेशन फ्लश आउट"** के नाम से एक विशेष अभियान प्रारम्भ किया जाता है।

इस अभियान के अन्तर्गत राज्य की समस्त जेलों की सघन तलाशी समय-समय पर आकस्मिक रूप से दिन अथवा रात में ली जावे तथा अवांछित वस्तुओं की बरामदगी कर संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाये।

इसी प्रकार जेल से संचालित होने वाली आपराधिक गतिविधियों को समूल नष्ट करने की दृष्टि से प्रभावी कार्यवाही की जावे। सभी अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की समय-समय पर संपर्क सभा ली जाकर यह अवगत करा दिया जाये कि राज्य सरकार की **'जीरो टॉलरेन्स'** की नीति की पालना में **भ्रष्टाचार, मिलीभगत तथा आपराधिक गतिविधियां** कतई बर्दाश्त नहीं की होंगी। **There will be Zero Tolerance for Corruption,Connivance**

and Criminal activities of the jail staff. इस **"ऑपरेशन फ्लश आउट"** के अन्तर्गत इस प्रकार की गतिविधियों के लिप्त जेल के स्टाफ को भी चिन्हित कर कठोरतम अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये/प्रस्तावित की जाये।

मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि जेल विभाग के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण तथा जेल विभाग के साथ सुरक्षा ड्यूटी हेतु तैनात 13वीं बटालियन आर.ए.सी. के अधिकारी/कर्मचारीगण पूर्ण उत्साह,लगन, परिश्रम, ईमानदारी तथ कर्तव्यनिष्ठा से इस अभियान की पालना में कार्यवाही करेंगे तथा विभाग की छवि को पूर्णत: परिवर्तित करने की दिशा में कार्य करेंगे।

उक्त अभियान के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार पुलिस एवं एस.ओ.जी. की सहायता ली जावे।

भवदीय,
21.11.2020
(राजीव दासोत)
महानिदेशक कारागार
राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सादर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है:-

1- प्रमुख शासन सचिव,गृह विभाग,राजस्थान,जयपुर।
2- प्रमुख शासन सचिव,माननीय मुख्य मंत्री महोदय,राजस्थान,जयपुर।
3- विशिष्ठ शासन सचिव,माननीय मुख्य मंत्री महोदय,राजस्थान,जयपुर।
4- महानिदेशक पुलिस,राजस्थान,जयपुर।
5- अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,ए.टी.एस. एवं एस.ओ.जी.,राजस्थान,जयपुर।

21.11.2020
महानिदेशक कारागार
राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपि-निम्नांकित को पालना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1-महानिरीक्षक पुलिस कारागार,राजस्थान,जयपुर।
2-महानिरीक्षक कारागार,राजस्थान,जयपुर।
3-उप महानिरीक्षक कारागार रेंज,जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
4-कमाण्डेन्ट,13वीं बटालियन,आर.ए.सी.,जयपुर।

21.11.2020
महानिदेशक कारागार
राजस्थान, जयपुर